आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री कुल भारत, न्यायिक सदस्य तथा
श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष

आ. अ. सं. 10 /इंदौर /2019
निर्धारण वर्ष : 2012-13

श्री लख्मीचंद केशरीचंद गोठी, (गोल्ड डिवीजन) इटारसी	बनाम	आयकर उपायुक्त वृत्त इटारसी
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एएबीएफएल 9313 एन		

अपीलार्थी की ओर से	कोई नहीं (लिखित प्रतिवेदन)
प्रत्यर्थी की ओर से	श्री आर.एस.अंबेडकर, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	03.06.2019
उद्घघोषणा तिथि	07.06.2019

आदेश

श्री कुल भारत, न्यायिक सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए निर्धारिती द्वारा यह अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-1, भोपाल के आदेश दिनांक 31.10.2018 के विरुद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर दाखिल की गई है । यह अपील 06 दिनों से कालबाधित है । निर्धारिती द्वारा विलंब की माफी हेतु आवेदन यह कथन करते हुए दाखिल किया गया है कि निर्धारिती इटारसी में रहता है जबकि उसके द्वारा अपील दाखिल करने हेतु नियुक्त नये अधिवक्ता नागपुर में रहते है । अतः अपील के ब्यौरे अधिवक्ता, जो दूसरे शहर में रहते है, को देने तथा अपील कागजात तैयार करने में अधिक समय लग गया । निर्धारिती द्वारा यह निवेदन किया

गया है कि निर्धारिती द्वारा कर मामलों में अनभिज्ञता के कारण अपील दाखिल करने में विलंब हुआ था और इसमें निर्धारिती की कोई दुर्भावना नहीं थी । अतः उसने 06 दिनों के विलंब को माफ करके अपील स्वीकृत करने का अनुरोध किया । हम निर्धारिती के निवेदनों में बल पाते हैं । अतः अपील दाखिल करनें में 06 दिनों के विलंब को माफ किया जाता है तथा यह अपील न्यायनिर्णयन हेतु स्वीकृत की जाती है ।

2. सुनवाई के दौरान हमने पाया कि विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा निर्धारिती को सुनवाई का कोई उचित, तर्कसंगत तथा सार्थक अवसर नहीं दिया गया था । विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने प्रकरण के गुणागुण का परीक्षण किए बिना आक्षेपित एक पक्षीय आदेश पारित किया था । दूसरी ओर, विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निम्न प्राधिकारियों के आदेशों पर निर्भरता रखी ।

3. हमने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री तथा निम्न प्राधिकारियों के आदेशों का अवलोकन किया है । हमने पाया कि वर्तमान अपील में, निर्धारिती को उचित एवं प्रभावी अवसर नहीं दिया गया था । इसके अतिरिक्त, विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने आदेश गुणागुण पर पारित नहीं किया था जो कि न्यायसंगत नहीं है । अतः, न्याय के हित में, हम विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश को अपास्त करना उपयुक्त समझते हैं । यह अपील निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात विधि के अनुसार गुणागुण पर निर्णयित करने के निदेश के साथ विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) की फाईल में प्रतिप्रेषित की जाती है । निर्धारिती को भी इस संबंध में स्वप्रेरणा से (suo motu) विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष उपस्थित होने तथा अनावश्यक स्थगन नहीं मांगकर सहयोग करने का निदेश दिया जाता है ।

4. परिणामतः, निर्धारिती की अपील सांख्यिकीय उद्देश्यों से स्वीकृत की जाती है ।

आदेश 07.06.2019 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-	हस्ता/-
(मनीष बोरड)	(कुल भारत)
लेखा सदस्य	न्यायिक सदस्य

दिनांक : 07.06.2019

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल